रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 465] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 12, 2013/भाद्र 21, 1935
No. 465] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 12, 2013/BHADRA 21, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 19 जुलाई, 2013

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2013

सा.का.नि. 627(अ).–**विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (डी) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक,** एतद्द्वारा **विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.3/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :-**

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलायेंगे।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अनुसूची में संशोधन:

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.3/2000-आरबी) (इसके आगे 'मूल विनियमावली' के रूप में उल्लिखित) में,

(ए) अनुसूची I में, पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ (iv) में, खंड (ए) में, उप-खंड (क) में "स्पष्टीकरण" को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"स्पष्टीकरण : निम्नलिखित क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र हेतु अर्हताप्राप्त करने के लिए पात्र होंगे, अर्थात,

(क) ऊर्जा में (i) विद्युत उत्पादन, (ii) विद्युत परेषण, (iii) विद्युत वितरण, (iv) आयल पाइपलाइनें, (v) तेल/गैस/द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा (कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण) और (vi) गैस पाइपलाइनें (सिटी गैस वितरण नेटवर्क सहित) शामिल होंगे;

(ख) संचार में (i) सेल्युलर सेवाएँ देने वाली मोबाइल टेलिफोन (टेलिफोनी) सेवाएं/कंपनियाँ, (ii) फिक्स्ड नेटवर्क टेलिकम्युनिकेशन (आप्टिक फाइबर/केबल नेटवर्क्स सहित जो ब्राडबांड / इंटरनेट की सेवाएँ देते हैं) और (iii) टेलिकम्युनिकेशन टावर शामिल होंगे;

(ग) परिवहन में (i) रेलवे (रेलवे ट्रैक, टनॅल, वायाडक्ट, पुल और चढ़ाई/उतराई टर्मिनलों, स्टेशनों और भवनों जैसे सपोर्टिंग टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित), (ii) सड़क और पुल, (iii) बंदरगाह, (iv) अंतर्देशीय जल परिवहन, (v) एयरपोर्ट और (vi) शहरी सार्वजनिक परिवहन (शहरी सड़क परिवहन के मामले में चल (रोलिंग) स्टाक को छोड़कर) शामिल होंगे;

(घ) जल और सफाई में (i) जल आपूर्ति पाइपलाइनें, (ii) ठोस कचरा प्रबंधन, (iii) पानी शोधन/ शुद्धिकरण प्लांट, (iv) सिवेज प्रोजेक्ट (सिवेज कलेक्शन, ट्रीटमेंट और निपटान प्रणाली), (v) सिंचाई (बांध, नहर, तटबंध सहित) और (vi) भारी बारिश के पानी की निकासी की प्रणाली (स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम) शामिल होंगे;

(ङ) (i) खनन, (ii) उत्खनन, और (iii) परिष्करण;

(च) सामाजिक और वाणिज्यिक इंफ्रास्ट्रक्चर में (i) अस्पताल (कैपिटल स्टाक और मेडिकल कालेज और पैरा मेडिकल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट सहित), (ii) होटल क्षेत्र जिसमें 200 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक के फिक्स्ड कैपिटल निवेश वाले होटल, 300 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक के फिक्स्ड कैपिटल निवेश वाले कन्वेंशन सेंटर और एक मिलियन अथवा उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों से बाहर स्थित थ्री स्टार अथवा उससे उच्चतर श्रेणी के वर्गीकृत होटल (भूमि के मूल्य को छोड़कर फिक्स्ड कैपिटल निवेश) शामिल होंगे, (iii) औद्योगिक पार्कों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, पर्यटन सुविधाओं के लिए साझा (common) इंफ्रास्ट्रक्चर, (iv) उर्वरक (पूँजी निवेश), (v) कृषि और बागवानी की फसल तैयार होने पर उपज के संरक्षित भंडारण हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कोल्ड स्टोरेज शामिल हैं, (vi) मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ और (vii) शीतगृह श्रृंखला कोल्ड) चेनकूलिंग-फार्म स्तर पर प्री) (, कृषि और संबंधित उत्पादों, समुद्री जलीय उत्पादों और मांस के संरक्षण और भंडारण के लिए कोल्ड (रूम सहित- शामिल होंगे।

(छ) रिज़र्व बैंक द्वारा भारत सरकार के परामर्श से कोई विनिर्दिष्ट अन्य क्षेत्र ।"

बी. अनुसूची II में, पैराग्राफ (3) में, उप-पैराग्राफ (iii) में, खंड (ए) में, उप-खंड (क) में, स्पष्टीकरण को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"स्पष्टीकरण : निम्नलिखित क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र हेतु अर्हताप्राप्त करने के लिए पात्र होंगे, अर्थात्,

(क) ऊर्जा में (i) विद्युत उत्पादन, (ii) विद्युत परेषण, (iii) विद्युत वितरण, (iv) आयल पाइपलाइनें, (v) तेल/गैस/द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा (कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण) और (vi) गैस पाइपलाइनें (सिटी गैस वितरण नेटवर्क सहित) शामिल होंगे;

(ख) संचार में (i) सेल्युलर सेवाएँ देने वाली मोबाइल टेलिफोन (टेलिफोनी) सेवाएं/कंपनियाँ, (ii) फिक्स्ड नेटवर्क टेलिकम्युनिकेशन (आप्टिक फाइबर/केबल नेटवर्क्स सहित जो ब्राडबांड / इंटरनेट की सेवाएँ देते हैं) और (iii) टेलिकम्युनिकेशन टावर शामिल होंगे;

(ग) परिवहन में (i) रेलवे (रेलवे ट्रैक, टनॅल, वायाडक्ट, पुल और चढ़ाई/उतराई टर्मिनलों, स्टेशनों और भवनों जैसे सपोर्टिंग टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित), (ii) सड़क और पुल, (iii) बंदरगाह, (iv) अंतर्देशीय जल परिवहन, (v) एयरपोर्ट और (vi) शहरी सार्वजनिक परिवहन (शहरी सड़क परिवहन के मामले में चल (रोलिंग) स्टाक को छोड़कर) शामिल होंगे;

(घ) जल और सफाई में (i)जल आपूर्ति पाइपलाइनें, (ii) ठोस कचरा प्रबंधन, (iii) पानी शोधन/ शुद्धिकरण प्लांट, (iv) सिवेज प्रोजेक्ट (सिवेज कलेक्शन, ट्रीटमेंट और निपटान प्रणाली), (v) सिंचाई (बांध, नहर, तटबंध सहित) और (vi) भारी बारिश के पानी की निकासी की प्रणाली (स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम) शामिल होंगे;

(ङ) (i) खनन, (ii) उत्खनन, और (iii) परिष्करण;

(च) सामाजिक और वाणिज्यिक इंफ्रास्ट्रक्चर में (i) अस्पताल (कैपिटल स्टाक और मेडिकल कालेज और पैरा मेडिकल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट सहित), (ii) होटल क्षेत्र जिसमें 200 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक के फिक्स्ड कैपिटल निवेश वाले होटल, 300 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक के फिक्स्ड कैपिटल निवेश वाले कन्वेंशन सेंटर और एक मिलियन अथवा उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों से बाहर स्थित थ्री स्टार अथवा उससे उच्चतर श्रेणी के वर्गीकृत होटल (भूमि के मूल्य को छोड़कर फिक्स्ड कैपिटल निवेश) शामिल होंगे, (iii) औद्योगिक पार्कों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, पर्यटन सुविधाओं के लिए साझा (common) इंफ्रास्ट्रक्चर, (iv) उर्वरक (पूँजी निवेश), (v) कृषि और बागवानी की फसल तैयार होने पर उपज के संरक्षित भंडारण हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कोल्ड स्टोरेज शामिल हैं, (vi) मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ और (vii) शीतगृह श्रृंखला कोल्ड) चेनकूलिंग-फार्म स्तर पर प्री) (, कृषि और संबंधित उत्पादों, समुद्री जलीय उत्पादों और मांस के संरक्षण और भंडारण के लिए कोल्ड (रूम सहित- शामिल होंगे ।

(छ) रिज़र्व बैंक द्वारा भारत सरकार के परामर्श से कोई विनिर्दिष्ट अन्य क्षेत्र ।"

[सं. फेमा. 281/2013—आर बी]

रुद्र नारायण कर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

<u>पाद टिप्पणी</u>: मूल विनियमावली 5 मई 2000 को सं. जीएस.आर. 386 (अ) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गयी थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी :

i. **25 अगस्त 2000 के सं. जी.एस.आर. 674(अ),**

ii. **8 जुलाई 2002 के सं. जी.एस.आर. 476 (अ),**

iii. **31 दिसंबर 2002 के सं. जी.एस.आर. 854(अ),**

iv. **9 जुलाई 2003 के सं. जी.एस.आर. 531(अ),**

v. **9 जुलाई 2003 के सं. जी.एस.आर. 533(अ),**

vi. **23 मार्च 2004 के सं. जी.एस.आर. 208(अ),**

vii. **22 दिसंबर 2004 के सं. जी.एस.आर. 825(अ),**

viii. **9 फरवरी 2005 के सं. जी.एस.आर. 60(अ),**

ix. **22 दिसंबर 2005 के सं. जी.एस.आर. 739(अ),**

x. **16 अक्तूबर 2007 के सं. जी.एस.आर. 663(अ),**

xi. **30 जनवरी 2009 के सं. जी.एस.आर. 61(अ),**

xii. **27 जुलाई 2009 के सं. जी.एस.आर. 547(अ),**

xiii. **23 नवंबर 2009 के सं. जी.एस.आर. 836(अ),**

xiv. **03 अगस्त 2012 के सं. जी.एस.आर. 610(अ)**

xv. **17 नवंबर 2012 के सं. जी.एस.आर. 832(अ),**

xvi. **11 दिसंबर 2012 के सं. जी.एस.आर. 886(अ),**

xvii. **21 दिसंबर 2012 के सं. जी.एस.आर. 916(अ),**

xviii. **26 फरवरी 2013 के सं. जी.एस.आर. 125(अ),**

xix. **20 जून 2013 के सं. जी.एस.आर. 384(अ),**

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
(CENTRAL OFFICE)
NOTIFICATION
Mumbai, the 19th July, 2013

Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Third Amendment) Regulations, 2013

G.S.R. 627(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (3) of Section 6, and sub section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000 (Notification No.FEMA.3/2000-RB dated May 3, 2000), namely:-

1. Short Title and Commencement :

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Third Amendment) Regulations, 2013.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule :

In the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 3/2000-RB dated May 3, 2000) (hereinafter referred to as 'the principal regulations'),

(A) In Schedule I, in paragraph 1, in sub-paragraph (iv), in clause (A), in sub-clause (a), for the 'Explanation' the following shall be substituted:

"Explanation: The following sectors will qualify as infrastructure sectors, namely,

(a) Energy which will include (i) electricity generation, (ii) electricity transmission, (iii) electricity distribution, (iv) oil pipelines, (v) oil/gas/liquefied natural gas (LNG) storage facility (includes strategic storage of crude oil) and (vi) gas pipelines (includes city gas distribution network);

(b) Communication which will include (i) mobile telephony services / companies providing cellular services, (ii) fixed network telecommunication (includes optic fibre / cable networks which provide broadband / internet) and (iii) telecommunication towers;

(c) Transport which will include (i) railways (railway track, tunnel, viaduct, bridges and includes supporting terminal infrastructure such as loading / unloading terminals, stations and buildings), (ii) roads and bridges, (iii) ports, (iv) inland waterways, (v) airport and (vi) urban public transport (except rolling stock in case of urban road transport);

(d) Water and sanitation which will include (i) water supply pipelines, (ii) solid waste management, (iii) water treatment plants, (iv) sewage projects (sewage collection, treatment and disposal system), (v) irrigation (dams, channels, embankments, etc.) and (vi) storm water drainage system;

(e) (i) mining, (ii) exploration and (iii) refining;

(f) Social and commercial infrastructure which will include (i) hospitals (capital stock and includes medical colleges and para medical training institutes), (ii) Hotel Sector which will include hotels with fixed capital investment of Rs.200 crore and above, convention centres with fixed capital investment of Rs.300 core and above and three star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million (fixed capital investment is excluding of land value), (iii) common infrastructure for industrial parks, SEZs, tourism facilities, (iv) fertilizer (capital investment), (v) post harvest storage infrastructure for agriculture and horticulture produce including cold storage, (vi) soil testing laboratories and (vii) cold chain (includes cold room facility for farm level pre-cooling, for preservation or storage or agriculture and allied produce, marine products and meat.

(g) Any other sectors as prescribed by the Reserve Bank in consultation with Government of India."

(B) In Schedule II, in paragraph (3), in sub-paragraph (iii), in clause (A), in sub-clause (a), for the 'Explanation' the following shall be substituted:

"Explanation: The following sectors will qualify as infrastructure sectors, namely,

(a) Energy which will include (i) electricity generation, (ii) electricity transmission, (iii) electricity distribution, (iv) oil pipelines, (v) oil/gas/liquefied natural gas (LNG) storage facility (includes strategic storage of crude oil) and (vi) gas pipelines (includes city gas distribution network);

(b) Communication which will include (i) mobile telephony services / companies providing cellular services, (ii) fixed network telecommunication (includes optic fibre / cable networks which provide broadband / internet) and (iii) telecommunication towers;

(c) Transport which will include (i) railways (railway track, tunnel, viaduct, bridges and includes supporting terminal infrastructure such as loading / unloading terminals, stations and buildings), (ii) roads and bridges, (iii) ports, (iv) inland waterways, (v) airport and (vi) urban public transport (except rolling stock in case of urban road transport);

(d) Water and sanitation which will include (i) water supply pipelines, (ii) solid waste management, (iii) water treatment plants, (iv) sewage projects (sewage collection, treatment and disposal system), (v) irrigation (dams, channels, embankments, etc.) and (vi) storm water drainage system;

(e) (i) mining, (ii) exploration and (iii) refining;

(f) Social and commercial infrastructure which will include (i) hospitals (capital stock and includes medical colleges and para medical training institutes), (ii) Hotel Sector which will include hotels with fixed capital investment of Rs. 200 crore and above, convention centres with fixed capital investment of Rs. 300 core and

above and three star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million (fixed capital investment is excluding of land value), (iii) common infrastructure for industrial parks, SEZs, tourism facilities, (iv) fertilizer (capital investment), (v) post harvest storage infrastructure for agriculture and horticulture produce including cold storage,
(vi) soil testing laboratories and (vii) cold chain (includes cold room facility for farm level pre-cooling, for preservation or storage or agriculture and allied produce, marine products and meat.

(g) Any other sectors as prescribed by the Reserve Bank in consultation with Government of India."

[No. FEMA. 281/2013-RB]

RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager–in-Charge

Foot Note : The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. No.386 (E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended vide:

i. No. G.S.R.674 (E) dated August 25, 2000
ii. No. G.S.R.476 (E) dated July 8, 2002
iii. No. G.S.R.854 (E) dated December 31, 2002
iv. No. G.S.R.531 (E) dated July 9, 2003
v. No. G.S.R.533 (E) dated July 9, 2003
vi. No. G.S.R.208 (E) dated March 23, 2004
vii. No. G.S.R.825 (E) dated December 22,2004
viii. No. G.S.R.60 (E) dated February 9, 2005
ix. No. G.S.R.739 (E) dated December 22, 2005
x. No. G.S.R.663 (E) dated October 16, 2007
xi. No. G.S.R.61 (E) dated January 30, 2009
xii. No. G.S.R.547 (E) dated July 27, 2009
xiii. No. G.S.R. 836 (E) dated November 23, 2009
xiv. No. G.S.R. 610 (E) dated August 03, 2012
xv. No. G.S.R. 832 (E) dated November 17, 2012
xvi. No. G.S.R. 886 (E) dated December 11, 2012
xvii. No. G.S.R. 916 (E) dated December 21, 2012
xviii. No. G.S.R. 125 (E) dated February 26, 2013
xix. No. G.S.R. 384 (E) dated June 20, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.